न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 230 / 2024

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सन्तोष कुमार पुत्र जगन नाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. अमरसिंह पुत्र चानणराम जाति माली साकिन चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
4. रामसिंह पुत्र जगन नाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
5. रणजीत पुत्र जगन नाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर ।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. हनुमान पुत्र चानणराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
2. लिछमा पुत्री चानणराम जाति माली साकिन चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. दुर्गा देवी पत्नि चानणराम जाति माली साकिन चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर
4. लिलु पुत्री चानण राम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
5. संजय पुत्र विद्या पुत्री चानण जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
6. रोहताश पुत्र विद्या पुत्री चानण राम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
7. सुरेष पुत्र चन्द्रकला पुत्री चानण राम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
8. सुमन पुत्री चन्द्रकला पुत्री चानण राम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
9. राधा पुत्री चन्द्रकला पुत्री चानण राम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
10. बनारसी पत्नि जगननाथ जाति माली साकिन चक 25एन.टी.आर. तहसील नोहर
11. श्यामलाल पुत्र जगननाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी. आर. तहसील नोहर
12. हरिसिंह पुत्र जगननाथ जाति भाली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
13. कृष्णा पुत्री जगननाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
14. निर्मला पुत्री जगननाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
15. प्रावृर्ति पुत्री जगननाथ जाति माली साकिन चक 25 एन.टी.आर.तहसील नोहर
16. राज कुमार
17. पवन कुमार — पुत्र व पुत्री सरस्वती पुत्री मोटाराम जांति माली साकिन चक 22
18. सुमन — एन.टी.आर. तहसील नोहर
19. संजु पुत्री बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
20. मांगीलाल पुत्र बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
21. नीमा पुत्री बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
22. मनोहर पुत्र बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
23. मंजू देवी पुत्री बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर
24. सविता पुत्री बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर तहसील नोहर ।
25. पुष्पा पुत्री बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर तहसील नोहर ।
26. सेना देवी पत्नी बुधराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर तहसील नोहर ।
27. सोना पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर तहसील नोहर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

28. प्रेम कुमार पुत्र मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एन.टी.आर तहसील नोहर ।

29. नानूराम 30. भीखाराम 31. मुलाराम 32. साधुराम 33. कृष्णा देवी 34. भली देवी पुत्र व पुत्रीयान सुगना दवी सुगना देवी पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

35. प्रमोद 36. विनोद 37. सोनू 38. मंजु पुत्र व पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुगना देवी पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

39. राकेश 40. पवन 41. महेन्द्र पुत्र बादो देवी पुत्री सुगना देवी पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

42. बाला देवी 43. सन्तोष कुमारी पुत्र पुत्री ईमरती पुत्री सुगना देवी जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

44. संगीता 45. गीता 46. मुर्ति पुत्रीया बिरजी पुत्री सुगना देवी पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

47. मैना पुत्री मोटारा जाति जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

48. ओमप्रकाश 49. भादर राम 50. हुश्यारीलाल 51. कृष्ण पुत्रगण सावित्री पुत्री मोटाराम जाति माली साकिन चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

52. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

53. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :— श्री महेश शर्मा अधिवक्ता **सायल**
श्री संजय जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 16/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायलान व गैरसायलान के सयुक्त हिन्दु खान दान की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नाहर की जमाबन्दी सम्बत 2072— 2075 के खाता सं. 97 के प.न. 337/429 मु.न. 32 के किला नं. 4, 5/1,5/2,6/1,6/2 व प.न. 338/429 मु.. 33 के किला नं. 1/1.1/2,1/2 व 10 कुल 8 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि मय गै.मु. है जो वर्तमान में सायलान व गैरसायलान के दादा व पिता व नाना मोटाराम पुत्र राजुराम के नाम दर्ज है जिसमें सायलान व गैरसायलान का हक व हिस्सा है।

मोटाराम पुत्र राजुराम फौत हो चके है जिनके कुल 10 वारिसान पुत्र व पुत्रीया क्रमश चानणराम, जगननाथ, सरस्वती, बुधराम सोना, प्रेमकुमार, शंकरलाल, सुगना देवी, मैना, सावित्री, हऐ प्रत्येक का 1/10,1/10 हिस्सा हुआ है। एवं चानणराम फौत हो चुके है जिनके जायज वारिसान वादी सं 3 अमरसिंह व गैरसायलान सं. 1 ता 9 हुऐ है इसलिए सायल सं. 3 व गैरसायलान सं. 1 ता 4 का 5/10 हिस्सा में ब.हि.ब. है गैरसायलान सं. 5 व 6 का 1/70, 1/70 व गैरसायलान सं. 7 ता 9 का 1/70 हिस्सा है [illegible] फौत हो चुके है जिनका 1/10 हिस्सा था जगननाथ के वारिस सं. वादी सं. 2, [illegible] 5 [illegible] गैरसायलान सं. 10 ता 15 का 1/10 हिस्सा ब.हि.ब. है अर्थात प्रत्येक [illegible] 1/90, 1/90 हिस्सा है एंव सरस्वती फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान गैरसायलान सं. 16 ता 18 है जो 1/10 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है बुधराम फौत हो चुके है जिनका 1/10 हिस्सा, है बुधराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जायज वारिसान गैरसायलान सं. 19 ता 26 है जो कि 1/10 हिस्सा में ब.हि.ब. है अर्थात प्रत्येक खातेदार काश्तकार का 1/80, 1/80 हिस्सा भूमि है गैरसायल सं. 27 सोना देवी का 1/10 हिस्सा है तथा गैरसायल सं. 28 प्रेम कुमार का 1/10 हिस्सा है सुगना देवी फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिस गैरसायलान सं. 29 ता 34 है एवं परमेश्वरी बादो व बरजी एवं इमरती हुऐ इसलिए सुगना देवी के 1/10 हिस्सा में कुल 10 वारिसो का 1/100 1/100 हिस्सा हुआ तथ परमेश्वरी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान गैरसायलान सं. 35 ता 38 का 1/100 हिस्सा ब.हि. ब. एवं बादो देवी फौत हो चुकी है जिसके 1/100 हिस्सा में उनके वारिसान गैरसायलान सं. 39 व 40 का 1/100 व 1/100 हिस्सा है मृतक इमरती देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान गैरसायलान सं. 41 व 43 का 100 हिस्सा ब.हि.ब. है एवं बरजी देवी के 1/100 हिस्सा में उसके वारिसान गैरसायलान सं. 44 ता 46 का 1/100 हिस्सा ब. हि.ब. है एवं मैना देवी का 1/100 हिस्सा एवं सावित्री फौत हो चुकी है जिसके वारिसान गैरसायलान सं. 47 ता 51 का 1/10 हिस्सा में ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार हे यही घोषणा वादीगण न्यायालय से घोषणा करापाने के अधिकारी है।

सायलान एंव गैरसायलान एक ही परिवार के सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है जिसका कारण भूमि थोडी–थोडी हिस्सा में आने के कारण हक से ज्यादा भूमि प्रत्येक खातेदार काश्त करना चाहता है इसलिए भारी विवाद रहता है इसलिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करापाने के अधिकारी है कि हक व हिस्स से ज्यादा भूमि काश्त न करे तथा एक दूसरे के कब्जा काश्त में स्वंय अथवा अपने आदमियों से मदाखलत बैजा ना करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 60/54 के ख0न0 257/6.06140 हेक्ट व रोही मौजा ब्राहमणवासी के खाता स0 22/22 के ख0न0 177/2 की 1.6440 हैक्ट में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

लिहाजाः यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 97 की कुल 8 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि को गैरसायलान रहन / बैय अथवा मुन्तकिल ना करे। तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की मोटाराम पुत्र राजुराम का फौत होना स्वीकार है व वारिसान भी स्वीकार है लेकिन जिस प्रकार हक व हिस्सा तहरीर किया गया है अस्वीकार है जवाब देहिदा सं. 11 व 12 के दादा चक 23 एनटीअर तहसील नोहर के खाता सं. 97 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल पटवार है लेकिन जहाँ 1.2650 हैक्टर भूमि तक उक्त भूमि में हिस्सा कस्सी का 1/10, 1/10 हिस्सा प्रत्येक [illegible] जगननाथ सरस्वती, बुधराम सोना, प्रेम कुमार, शंकरलाल, सुगनी देवी, मैना [illegible] कतई विधि विरूद्ध गलत है चूंकि कुल भूमि 1.2650 हैक्टर [illegible] है जिसमें से 1 बीघा भूमि जो कि किला नं. 1/2 की भूमि थी को मोटाराम ने अपने [illegible] जो कि गैरसायलान सं. 11 व 12 है को परिवार के सदस्यों के सम्मने मौखिक वसीयत कर दी थी और कहा था कि इन्होने सपरिवार मेरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहुत सेवा की है। जिससे दादा की मृत्यु के बाद प्रतिवदी सं. 11, 12 ने पक्की ढाणी भी बना रखी है एवं शान्ति पूर्वक निवास कर रहे है इस प्रकार वारिसान की शेष बची 1.012 हेक्टर भुमि में प्रत्येक का 1/10. 1/10 हिस्सा भूमि प्राप्त करने अधिकारी है। सायल व गैरसायलान के पूर्वज स्व. मोटाराम के नाम से रोही मौजा चक 23 एन. टीआर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 की 1.2650 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल पटवार दर्ज है एवं स्व. मोटाराम के 10 वारिस है इससे पूर्व स्व. मोटाराम की सम्पूर्ण कृषि भूमि का वर्णित किया जाना आवश्यक है जिससे उनके पास रोही मौजा चक 22 एन.टी.आर. की 20 बीघा, रोही मौजा चक 25 एन. टी.आर. तहसील नोहर की 5 बीघा एव रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील के खाता की 5 बीघा भूमि इस प्रकार स्व. मोटाराम के नाम से 30 बीघा कुल नहरी / बारानी भूमि थी जिसमें से उन्होने अपनी पुत्रीयों की सहमति से अपने पांचो लडको प्रत्येक को 5 बीघा भूमि नाम करवा दी थी इस प्रकार च्यानण, बुधराम प्रेम शंकर को 20 बीघा भूमि एवं चक 22 एनटीआर तहसील नोहर की 5–5 बीघा भमि दी थी एवं अपने पुत्र जगननाथ को उन्होने रोही मौजा चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर की 5 बीघा भूमि दे दी थी एंव शेष रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर की 5 बीघा भूमि अपने हिस्सा में रखी थी जिसमें उसके किला नं. 1/2 में उनकी ढ़ाणी बनी थी और उसी में उनकी रिहायश व काश्त थी। रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 11 व 12 इस खाता के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि के जवाब देहिन्दा सं. 11. 12 ब. हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है एवं शेष बची भूमि 1. 012 हैक्टर भूमि में स्व. मोटाराम के सभी 10 वारिस क्रमशरू चानणराम, जगननाथ सरस्वती, बुधराम, सोना, प्रेमकुमार, शंकरलाल, सुगन देवी, मैना, सावित्री प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 11 व 12 इस खाता के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि के जवाब देहिन्दा सं. 11, 12 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज की जावे। शेष बची भूमि 1.012 हैक्टर भूमि में स्व. मोटाराम के सभी 10 वारिस क्रमशरू चानणराम, जगननाथ सरस्वती, बुधराम, सोना, प्रेमकुमार, शंकरलाल, सुगन देवी मैना, सावित्री प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। गैरसायलान सं. 11 व 12 के दादा स्व. मोटाराम पुत्र राजाम के नाम से रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 की 1.2650 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल पटवार सरकार है। गैरसायलान के दादा की कुल भूमि 30 बीघा भूमि थी जिसमें 20 बीघा भूमि चक 22 एन.टी.आर की भूमि चानण, बुधराम, प्रेम, शंकर प्रत्येक को 5–5 बीघा भूमि एवं चक 25 एनटीआर की 5 बीघा भूमि पुत्र जगननाथ को अपने जीवनकाल में दे दी थी एवं शेष रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर 5 बीघा बारानी भूमि अपने उपयोग हेतु रखी, एवं इसी रकबा के किला नं. 1 में गैरसायलान के दादा की ढ़ाणी बनी हुई थी जिसमें दादा एवं दादी निवास करते थे गैरसायलान की दादी की मृत्यु सन् 1996 में हो गई एंव मृत्यु के बाद दादा नितान्त अकेले हो गये उस वक्त गैरसायलान सं. 11 व 12 ने उनकी सेवा की एवं उनके खाने पिने एवं दवाई आदि एवं सार सम्भाल गैरसायलान सं. 11 व 12 करते रहे थे जिससे खुश होकर गैरसायलान सं. 11 व 12 के [illegible] परिवार के अन्य लोगो की उपस्थिति में यह कहा था कि उक्त भूमि में मेरी [illegible] करती हूँ वह किला मेरे पोते हरी, श्याम को मौखिक रूप से व[illegible] हूँ इसलिए किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि मे मेरे अन्य किसी भी वारिसान का कोई व हिस्सा नही होगा अगर भविष्य में इस किला में मेरे अन्य कोई वारिसान हक व हिस्सा की मांग करेगे तो वह झुठा एवं अमान्य होगा। क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान सं. 11 व 12 ने मेरी जीवन के अन्तिम वर्षों में जब मुझे सहारे की आवश्यकता थी तब गैरसायलान सं. 11 व 12 मेरे सेवा की है इसलिए मेरी ढ़ाणी बनी हुई है उस किला की भूमि को मैं गैरसायलान सं. 11 व 12 के पक्ष में मौखिक वसयीत करता हूँ। दरख्वास्त सायल मुताबिक काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे गैरसायलान सं. 11 व 12 के दादा मोटाराम पुत्र राजुराम ने अपने जीवन काल में ढाणी बनाकर खेत में निवास करते थे तथा हम गैरसायलान सं. 11 व 12 के दादा जब जीवित थे उस समय रोही मौजा चक 23 एन.एन.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 के किला नं. 1/2 में कच्ची दाणी बनी हुई थी उक्त किला नं. 1/2 की सम्पूर्ण भूमि की मौखिक वसीयत कर दी थी। वह हम गैरसायलान के दादा की मृत्यु सन् 1999 में हो गई तब से लेकर आज दिनांक उक्त किला नं. 1/2 हमारे कब्जा काश्त में है रोही मौजा चक 23 एन.एन. आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 के किला नं. 1/2 की भूमि हो हम गैरसायलान सं. 11 व 12 के दादा ने मौखिक वसीयत की थी उसके बाद उक्त भूमि हम गैरसायलान सं. 11 व 12 के लगातार कब्जा में है और किला नं. 1/2 की भूमि में पक्की ढाणी बी.पी.एल (मुख्यमंत्री आवास योजना) के अन्तर्गत बनवा ली है एवं विद्युत कनैक्शन भी ले रखा है। एवं इस पता पर गैरसायलान सं. 11 व 12 व उसके परिवार के सदस्यों के नाम से आधार कार्ड एवं पहचान पत्र राशन कार्ड जारी शुदा है। जिसमें गैरसायलान सं. 11 व 12 शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अतः जवाब दरख्वास्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाव दरख्वास्त गैरसायलान सं. 11 व 12 का स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 97 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 11 व 12 इस खाता के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि के जवाब देहिन्दा सं. 11. 12 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज की जावे। शेष बची भूमि 1.012 हैक्टर भूमि में स्व. मोटाराम के सभी 10 वारिस क्रमश रू– चानणराम, जगननाथ सरस्वती, बुधराम, सोना, प्रेमकुमार, शंकरलाल, सुगन देवी , मैना, सावित्री प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में मोटाराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता/दादा है एवं मोटाराम का देहान्त हो चुका है। मोटाराम के जायज वारिसान सायल व गैरसायलान है लेकिन गैरसायलान मोटाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने अकेले के नाम दर्ज करवाना चाहते है एवं सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है एवं अकेले के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज कर बैय करना चाहता है जबकि सायल का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरीशकर के नाम दर्ज है एवं मोटाराम का देहान्त हो चुका है अप्रार्थीगण आदिनांक तक रिकार्डेड खातेदार भी नही है इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि वाद भूमि मृतक के नाम दर्ज है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 11.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested